न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नोवी

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 68/2006
दायरा तिथि 28.12.2006
निर्णय तिथि 14.05.2016

वादीगणः–

1. जेपाराम पुत्र श्री जीवाराम
2. रामाराम पुत्र श्री जीवाराम
3. कपूराराम पुत्र श्री जीवाराम
4. जवानाराम पुत्र श्री जीवाराम
5. मूपाराम पुत्र श्री जीवाराम
6. प्रभुराम पुत्र श्री जीवाराम
7. शंकरलाल पुत्र श्री जीवाराम

तमाम जातिगण माली
निवासीगण महादेवा नोवी
तह. सुमेरपुर जिला पाली

बनामः

प्रतिवादीगणः–

1. धन्नाराम पुत्र धरमारामजी
2. पुखराज पुत्र श्री धरमारामजी
3. पूनाराम पुत्र धरमारामजी
4. हिमताराम पुत्र धरमारामजी
5. मंगलाराम पुत्र श्री धरमारामजी
6. भंवरीदेवी पुत्री धरमारामजी
7. कन्यादेवी पुत्री धरमारामजी
8. जेठाराम पुत्र रूपारामजी
9. तेजाराम पुत्र श्री वनारामजी

जातिगण माली, निवासी महादेवा नोवी
तह. सुमेरपुर जिला पाली

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर , जिला–पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53,188 RTAct,1955 सपठित धारा 136

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड, भरत के. राठौड उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण सं. 10 की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर

–: निर्णय :–

दिनांक 14.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र नोवी में बरोज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले की वाद विषयक–स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा नोवी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि संवत् 2060–2063 के अनुसार हाल खसरा नं. 4, 5, 686 कुल रकबा क्रमशः 0.03, 2.20, 3.10 कुल रकबा 5.33 हेक्टर किस्म जाव दोयम आई हुई है जो आराजी राजस्व अभिलेख में जेपा, रामा, कपूरा, जवाना, मूपा, प्रभु, शंकर, पि. जीवा मुसम्मात तीजो वेवा जीवा हिस्सा 1/4 , धना वल्द धरमा हिस्सा 1/4, रूपा, तेजा, भेरा पि. वना हिस्सा 1/2 कौम माली साकिन देह खातेदार वास महादेवा के नाम से दर्ज रही है। स्व. तीजो पत्नी जीवाराम जाति माली का स्वर्गवास वर्ष 1996 मे हो गया व उनके वारिसान में वादीगण तमाम पुत्रगण है जो कि मृतका तीजो की चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर इनका कानूनी प्रतिनिधित्व करते है, ऐसा वाद पत्र में उल्लेख वादीगण द्वारा किया गया है।

(2) कि इसके अलावा वादीगण ने वादपत्र में यह भी जाहिर किया कि वर्णित विवादित आराजी भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज है, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के नाम दर्ज है व आधा हिस्सा स्व. रूपा, तेजा , स्व. भेरा पि. वना जाति माली के नाम दर्ज है। विवादित आराजी भूमि में 1/6 हिस्सा स्व. रूपा के आता है , 1/6 हिस्सा तेजा के व 1/6 हिस्सा भेरा के आता है। भेरा के स्वर्गवास होने पर उनका 1/6 हिस्सा स्व. जीवाजी व स्व. धरमाजी के वारिसान मे निहित है। वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सी.पी.सी. में बहस के दौरान कथन किया कि स्व. रूपाराम वनाजी का पुत्र नही था बल्कि नवाजी माली का पुत्र था जिनका स्वर्गवास ग्राम

लगातार पेज – 2 .....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

पालडी जोड मे दिनांक 27.08.1999 को हो चुका है। प्रतिवादी तेजाराम वनाजी का पुत्र नही है, वह भी नवाजी का पुत्र है जो गणेश नगर तह. शिवगंज का निवासी है। तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर स्व. रूपा व उसके पुत्र जेठा व तेजा का कब्जा कास्त नही रहा है। वादीगण को आधा हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगाय 5 को आधा हिस्सा का बंटवाडा कर दिया जाने का अनुरोध किया।

(3) कि इसके अतिरिक्त वादी जवानाराम पुत्र श्री जीवाराम जाति माली निवासी महादेवा , नोवी ने एक म्यूटेशन अपील सं. 04/2009 प्रस्तुत कि है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 636 दिनांक 29.03.2009 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। वकील प्रतिवादी श्री हिम्मत धनेरा ने बहस के दौरान अवगत करवाया कि मूल राजस्व वाद सं. 68/2006 व ना. अपील सं. 04/2009 में वादग्रस्त भूमि एक ही होने सें दोनो मामलों में पृथक–पृथक निर्णय पारित करने से वस्तुस्थिति बदल जायेगी एवं विरोधाभास उत्पन्न होगा। परिणाम स्वरूप विचाराधीन ना. अपील सं. 04/2009 में अपीलान्ट जवानाराम बनाम रेस्पोन्डेट जेठाराम वगैरा को मूल राजस्व वाद सं. 68/2006 के साथ समेकित किया गया। प्रतिवादी सं. 6,7, 8 के द्वारा चार वर्ष की लम्बी अवधि तक जवाबदावा प्रस्तुत नही करने पर जवाबदावा प्रस्तुत का अवसर दिनांक 25.02.2011 को अवसर समाप्त किया गया।

(4) कि प्रतिवादी संख्या 1,2, 9 की ओर से जवाबदावा दिनांक 26.07.2008 को प्रस्तुत किया गया। श्रीमती सुखीबाई द्वारा प्रतिवादी सं. 6,7 से वादग्रस्त आराजी खरीदने पर सुखीबाई धर्मपत्नी श्री पुखराज माली को प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त आराजी मूल रूप से डोली भूमि होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पोषणीय नही होने से खारिज किया गया।

(5) कि वादीगण जवानाराम वगैरा को कृषि भूमि बेचान की जानकारी होने पर वादी जवानाराम ने अपराधिक प्रकरण सं. 217 दिनांक 08.08.2006 को पुलिस थाना, सुमेरपुर में अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत दर्ज करवाया गया। जिसमें बाद पुलिस अनुसंधान एफ.आर. (अन्तिम प्रतिवेदन) अदम वकु न्यायालय में पेश की गई। वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम नोवी तह. सुमेरपुर में स्थित आराजी खसरा नं. 4,5 व 686 रकबा क्रमशः 0.03, 2.20, 3,10 कुल रकबा 5.33 हेक्टर में वादीगण का आधा हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगाय 5 का आधा हिस्सा खातेदारी घोषित करने का अनुरोध किया। साथ ही बाद सीमांकन उक्त आराजी रकबा 5.33 का 1/2 – 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में पृथक–पृथक दर्ज करने की प्रार्थना की।

(6) कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वाद कथनों को नकारते हुए प्रतिवादी सं. 10 तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर ने नकारते हुए बहस में उल्लेख किया कि डोली बनाम मन्दिर मूर्ति की कृषि भूमि के बारे मे उनके पुजारी/कृषक या सेवादार कानूनन किसी भी प्रकार से खातेदारी पाने का हकदार नही बनता है। प्रकरण मे खतोनी बदोबस्त संवंत 2011–20 ग्राम नोवी के खाता सं. 269 में खसरा नं. 454, 6,4, व 5 क्रमशः रकबा 21 बिघा 2 बिस्वा, 14.5 बिघा 2 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा कुल रकबा 35.5 बिघा 4 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी के नाम दर्ज है। तथ प्रश्चात मिशल बन्दोबस्त से जमाबंदी सवंत 2022 से 2025 तक बनाते वक्त मन्दिर की डोली भूमि का नाम हटाया जाकर जीवा वल्द भैरा, धना वल्द धरमा, नवा वल्द सवा कौम–माली का नाम दर्ज कर दिया गया। यह है कि जमाबन्दी सवंत 2022 से 2025 मे नामान्तरकरण सं. 22 दिनांक 12.12.1978 से धना के फौत होने पर रूपा, तेजा,भूरा वल्द धना माली सा. देह दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण सं. 127 दिनांक 23.6.1982 के जीवा के फौत होने पर जैपा, रामा, कपूरा, जवाना, मूपा, प्रभु, शंकर पि. जीवा तथा तीजो बेवा जीवा का नाम दर्ज किया गया जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार खतोनी बंदोबस्त सवंत 2011 के अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री महोदवजी वाके देह नोवी के नाम की भूमि अन्य खातेदारान के नाम उत्तराधिकार/बेचान के जरिये राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम कानूनन गलत दर्ज होने से वादवादीगण चलने योग्य व पोषणीय नही होने से सव्यय खारिज फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार पेज – 03.....

Scanned by CamScanner

चूंकि, प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत को दृष्टिगत् रखते हुए हमने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के संदर्भित अर्थात उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि जो राजस्व रेकर्ड में डोली बनामः मंदिर श्री महादेवजी वाके नोवी खातेदार के नाम से दर्ज है, के संबंधित वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार से खातेदारी पाने के हकदार नहीं बनते है और वादीगण का कथित वादपत्र प्रतिवादी के विरूद्ध प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 4, 5, 686 कुल रकबा क्रमशः 0.03, 2.20, 3.10 कुल रकबा 5.33 हेक्टर भूमि में वादीगण , प्रतिवादीगण को आधा–आधा हिस्सा भूमि का पृथक से खातेदार घोषित करने एवं वादीगण की घोषित होने वाली खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत् वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नोवी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner